

घोषणा पत्र
(अक्षम बच्चों के लिए वित्तीय सहायता)

मैं पुत्र / पत्नी श्री जिला
..... बोर्ड पंजीकरण संख्या पंजीकरण तिथि सत्यनिष्ठापूर्वक
निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ :

1. मेरा पुत्र / पुत्री प्रतिशत स्थाई रूप से अक्षम है । जिसके स्थाई अशक्तता प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या तथा दिनांक को जिला द्वारा जारी किया गया है [तथा तिथि तक मान्य है । (यदि लागू है)]
2. मैं अपने बच्चे का अशक्तता प्रमाण पत्र वैधता तिथि समाप्त होन के बाद प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाकर बोर्ड में अपडेट करवा दूँगा । (यदि लागू हो)
3. मैं अपने बच्चे के लिए किसी भी सरकारी विभाग / बोर्ड / निगम से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा / रही हूँ ।
4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा से बच्चे के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हूँ तथा मैंने उक्त विभाग के जिला कार्यालय से इस संदर्भ में प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या दिनांक को प्राप्त किया है जिसकी प्रति साथ संलग्न है ।
5. बोर्ड द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता के साथ मेरे व मेरे बच्चे की आधार संख्या को जोड़ने व बैको / सरकारी विभागो के साथ सूचना साझा करने पर मुझे आपत्ति नहीं है ।
6. प्रत्येक वर्ष के अन्तिम माह दिसम्बर तक अगर मेरे द्वारा बच्चे का जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो बोर्ड द्वारा दी जा रही प्रतिमाह वित्तीय सहायता को बंद करने का अधिकार होगा ।

ऊपर दिया गया विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवम् विश्वास के अनुसार सही व सत्य है यदि मेरे द्वारा गलत तथ्य बताकर वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है तो बोर्ड को बच्चे की अशक्तता पर मिलने वाली वित्तीय सहायता बंद करने व प्राप्त की गई राशि को वसूल करने का अधिकार होगा ।

स्थान :

तिथि :

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

मो० नं०